फर्द अहकाम

श्रीमती भजनी बनाम राजेन्द्र वगै०

पत्र संख्या: TI 101/22

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26.05.2022	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वय का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियाँ पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को जवाब आने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम गोनेर पटवार हल्का गोनेर के खसरा नम्बर 2750 कुल किता 1 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो, अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 15.07.2022 को पेश हो। [illegible] अधिकारी [illegible] (द्वितीय)	
15/7/22	पत्रा[illegible] साहब अ[illegible]त पत्रावली [illegible] 12/8/22 को पेश हों।	
12/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं उपस्थित नहीं है। तलब अदालत प्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से प्रार्थी का प्रा० पत्र [illegible] अदम हाजरी - अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं० से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ekta Karn
Date: 2023.01.11 15:27:54 IS
Reason: SelfAttested